


1247403/2023

Q-III
22/09/23



BLS.MA.9(17)/88-II-44008-28
Office of the Deputy Commissioner,
District Bilaspur, Himachal Pradesh.

Bilaspur, the 20/09/2023.

From

Deputy Commissioner,
District Bilaspur (H.P.)

To

The All Head of the Offices,
District Bilaspur (H.P.)

Subject:- Notification dated 25-08-2023.

Sir,

Please find enclosed a copy of letter No. GAD-C-A (3)2/2019-Part-1 dated 25-08-2023 received from the Joint Secretary (GAD) to the Govt. of Himachal Pradesh on the subject cited above.

In this regard, therefore you are request to look into the matter and take necessary action please.

Yours faithfully,

Signed by

Parkash Chand Rao

Date: 20-09-2023 10:26:58
for Deputy Commissioner,
District Bilaspur (H.P.)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मन्त्रीमण्डल)

DC
AC
Supdt
A
25/8/23
MA

संख्या: जी.ए.डी.-सी-ए(3)2/2019-पार्ट-1 तारीख, शिमला-171002 25.08.2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या जी.ए.डी.-सी-ए(3)2/2019, तारीख 10 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 13 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ ।

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) (तृतीय संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची-‘अ’ का
संशोधन।

- हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) से संलग्न अनुसूची-‘अ’ में क्रम संख्या 21 के शीर्षक “सूचना प्रौद्योगिकी विभाग” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग।”

अनुसूची-‘आ’ का
संशोधन।

- “उक्त नियमों” से संलग्न अनुसूची-‘आ’ में क्रम संख्या 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“21. डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग।”

1. डिजिटल प्रौद्योगिकियां:

(i) डिजिटल प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार, ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सुरक्षा के लिए नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना।

(ii) उभरती प्रौद्योगिकियों (तकनीकों) जैसे कृत्रिम बुद्धिमता, ड्रोन और ड्रोन आधारित सेवाएँ, मशीन विद्वता, (छाया) क्लाउड संगणना, आई ओ टी, ब्लॉकचेन और वृहद डाटा विश्लेषण को बढ़ावा देना।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर और सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित केन्द्रीय और राज्य विधानों, विनियमों और नीतियों से संबंधित मामलों के लिए राज्य सरकार की ओर से नोडल एजेंसी (अभिकरण)/प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।

१

- (iv) डिजिटल प्रौद्योगिकी संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए भारत सरकार और इसके अभिकरणों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ समन्वय करना।
- (v) ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रौद्योगिकी परियोजनाओं, स्कीमों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित डिजिटल मानकों का अनुश्रवण और कार्यान्वयन करना।
- (vi) राज्य में समस्त डिजिटल पहलों (उपक्रमणों) के पर्यवेक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, समन्वित और एकजुट डिजिटल विकास सुनिश्चित करना।
- (vii) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का प्रशासनिक नियंत्रण।
- (viii) विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों की प्रभावी मैपिंग, डाटा प्रबन्धन और विश्लेषण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआई0एस0) का एकीकरण और कार्यान्वयन।
- (ix) विभिन्न विभागों को तकनीकी सलाह, समन्वित और एकजुट विकास सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम उभरती प्रौद्योगिकियों को निगमित (सम्मिलित) करना।

2. डिजिटल अवसंरचना और डाटा गवर्नेंस:

- (i) राज्य डाटा सेंटर, राज्य व्यापक क्षेत्र नेटवर्क और अन्य कोर डिजिटल अवसंरचना सहित राज्य में डिजिटल अवसंरचना का विकास, प्रबंधन और उन्नयन।
- (ii) नागरिकों और सरकारी संगठनों को उच्च-गति इंटरनेट संयोजन और बेहतर संचार सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार अवसंरचना के उन्नयन और कार्यान्वयन में सहायता।
- (iii) सरकार की अति महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- (iv) दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी नागरिकों के लिए डिजिटल अवसंरचना की पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना।

3. समावेशी विकास के लिए डिजिटल रूपांतरण:

- (i) सरकारी संचालन की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार और नागरिक अनुभव में सुधार के लिए ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल संदाय प्रणाली और अन्य डिजिटल सेवाओं जैसे विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों को कार्यान्वित करना और उनका प्रबंधन करना।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण पहलों को विकसित और कार्यान्वित करने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए अन्य राज्य सरकारी विभागों के साथ कार्य करने के लिए डिजिटल विभाजन को ध्यान देना।

(iii) जीवन स्तर सुधारने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों के रूप में डिजिटल रूप से सक्षम अवसंरचना का उपयोग कर एकीकृत सेवा वितरण चैनल के माध्यम से एक समावेशी सरकारी सार्वजनिक अंतरात्मिक (इंटरफेस) का निर्माण।

(iv) पारदर्शी और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने और तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों और अर्ध-सरकारी संगठनों में डिजिटल उपकरणों के विकास और कार्यान्वयन में सहायता।

(v) सुलभ और समावेशी डिजिटल वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले विभागों/संगठनों के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों का मानकीकरण।

4. निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना:

(i) उभरती प्रौद्योगिकियों सहित सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ई एस डी एम) क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और ऐसे निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना।

(ii) उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा जगत (समुदाय), उद्योग और सरकार के मध्य सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना।

(iii) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/आई.टी. पार्क पर्यावास स्थापित करना।

(iv) स्टार्ट अप और उद्यमियों की सहायता के लिए वित्तपोषण, संरक्षण और अन्य संसाधन प्रदान कर डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

(v) विभिन्न प्रचार क्रियाकलाप (कार्यकलाप) का आयोजन करना, जैसे राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ सेमिनार, नवीनतम उभरती प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों का प्रदर्शन।



(vi) राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और नवीन व्यवसाय मॉडल को सम्मिलित करते हुए वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की सुविधा प्रदान करना।


(vii) विभिन्न विभागों द्वारा सरकार में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जैसे ड्रोन, 5जी प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई ओ टी) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) उपकरण, बहुविध डेटाबेस को एकीकृत करते हुए हकदारी आधारित लाभ परिदान प्रोत्साहित करना और नागरिकों/सरकार/ व्यवसाय की प्रसुविधा हेतु सूचना-राजमार्ग आदि का सृजन।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: जी.ए.डी.-सी-ए(3)2/2019-पार्ट-1 दिनांक शिमला-171002, 25.08.2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभवन, शिमला-2।
2. समस्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
3. संयुक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4।
5. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
7. निजि सचिव, मुख्य मन्त्री/समस्त मन्त्रीगण/समस्त मुख्य संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश, शिमला-2।
8. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश।


संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।